न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज(जू०डि०), घाटमपुर, कानपुर देहात

परिवाद सं० 345/2024

UPRN180009042024

मनोज कुमार बनाम सुशील कुमार आदि

थाना साढ़,जनपद कानपुर नगर

दिनांक – 28/04/2026

पुकार करायी गयी। पुकार पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए।

परिवादी ने परिवाद पत्र के संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी के गांव में प्रार्थी के जानवर बांधने की भूमि है, जिस पर प्रार्थी के जानवर पिछले काफी अर्से से बंधते चले आ रहे हैं। गांव के ही शेरेपुस्त, दबंग व्यक्ति सुशील कुमार, सुनील कुमार, आशुतोष, नीतेश, अखिलेश कुमार उर्फ झल्लू, अम्बिका प्रसाद व रिषभ विपक्षीगण ने दिनांक 29/05/2023 को प्रातः 08.00 बजे एक राय होकर लाठी डण्डों से लैस होकर प्रार्थी के जहां जानवर बंधते थे, उस जगह पर आये और प्रार्थी के जानवरों को खूंटों से कोल दिया और खूंटो को तोड़ने लगे। प्रार्थी उस समय घर पर मौजूद था, जैसी ही जानकारी प्राप्त हुई तो प्रार्थी जहां जानवर बंधे थे उस स्थान पर गया तो यह लोग जानवरों को छोड़ रहे थे और खूंटे तोड़ रहे थे। प्रार्थी ने विपक्षीगण से कहा कि जानवरों को क्यों छोड़ रहे हो और मेरे खूटे क्यों तोड़ रहे हो। यह सुनते ही उपरोक्त विपक्षीगण प्रार्थी को भद्दी–भद्दी गालियां देने लगे। अखिलेश उर्फ झल्लू अपने हाथ में तमंचा लिये हुए लहराने लगा, सुशील व सुनील लाठी, डण्डे लिये थे, आशुतोष व रितेश अपने हाथों में सरिया लिये हुए थे। अम्बिका व रिषभ मोटे डण्डे लिये हुए थे और कहा कि यहां से भाग जाओ, नहीं तो हम लोग तुम्हें अभी सुधार देंगे और जान से मार देंगे। हम जबरदस्ती इस जमीन पर कब्जा करके अपने जानवर यहां बांधेगे और नदियां भी बनायेंगे। प्रार्थी ने अपने आपको अकैला समझकर जान बचाकर अपने रहने वाले घर की ओर दौड़ा तब उपरोक्त विपक्षीगण ने अपने हाथ में लिये हुए लाठी डण्डा लिये दौड़ा लिया तथा तमंचा लिये हुए झल्लू दौड़ रहा था कि तुम्हे गोली मार दूंगा। प्रार्थी अपने घर के अन्दर घुस रहा था यह सभी लोग एक साथ घर के अन्दर घुस गये और प्रार्थी को लाठी डण्डों से मारने लगे। जिससे प्रार्थी को गंभीर चोटें आयी और लात घूसों से भी सभी लोगों ने मारा। इतना शोर शराबा सुनकर सड़क पर चलने वाले राहगीर व पड़ोसी लोग आ गये और बीच बचाव करने लगे। तब विपक्षीगण भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए भविष्य में जान से मार देने की धमकियां देते हुए भाग निकले।

उक्त परिवाद पत्र पर परिवादी का बयान धारा 200 द०प्र०सं० अंकित किया गया है तथा धारा 202 द०प्र०सं० के अन्तर्गत पी०डब्लू० 1 अमित कुमार पाण्डेय व पी०डब्लू० 2 प्रमोद कुमार मिश्रा को परीक्षित किया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उच्चाधिकारियों को प्रेषित पत्र की छायाप्रति व मूल डाक रसीद प्रस्तुत किये गये हैं।

परिवादी मनोज कुमार ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 द०प्र०सं० में कथन किया है कि दिनांक 29/05/2023 को प्रातः 8 बजे मैं तहसील नर्वल को कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहा था, अभियुक्तगण ने मेरे जानवर खूंटे से जानवर खोल दिया और मेरे जानवरों को भगा दिया। खूटा तोड़ दिया। जब मैंने विरोध किया तो गाली गलौज भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। मना करने पर जान से मारने की धमकी देने लगे. अखिलेश के हाथ में तमंचा था. सुनील व सुशील के हाथ में लाठी थी। आशुतोष व नितेश के हाथ सरिया था। घटना की शिकायत थाने मे की कोई कार्यवाही नहीं की। इनके साथ मेरा एक दीवानी का मुकदमा चल रहा है। वह मुकदमा मैंने किया है। ऋषभ व अम्बिका के हाथ में लाठी थी।

पी०डब्लू० 1 अमित कुमार पाण्डेय ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 द०प्र०सं० में कथन किया है कि परिवादी मनोज कुमार मेरे गांव के हैं। हम दोनों के घर के बीच 50 मीटर की दूरी है। दिनांक 29/05/2023 प्रातः 8 बजे लगभग परिवादी अपने जानवर को खोलने के

Digitally signed by DHARMENDER SINGH YADAV
Date: 2026.04.28 16:57:32 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge J.D. J.M. Ghatampur Kanpur Dehat

कारण विपक्षीगण को मना किया तो विपक्षीगण गाली गलौज करने लगे। विपक्षीगम मनोज के साथ मारपीट करने के लिए उसके घर के अन्दर घुसने लगे। विपक्षीगण सारे पड़ोसी हैं। विपक्षीगण मनोज को लाठी डण्डों व लात घूसों से मार रहे ते। 5–6 लोग बीच बचाव में आये। मैंने थाने को फोन नहीं किया। मेरे पास उस समय फोन नहीं था। अन्य मौजूद लोगों ने फोन किया कि नहीं मुझे नहीं पता। मनोज की पेट में व सिर में काफी चोटें आयी थीं। वहीं डाक्टर से इलाज करवाया। आगे क्या कार्यवाही हुई मैं नहीं बता सकता।

पी०डब्लू० 2 प्रमोद कुमार मिश्रा ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 द०प्र०सं० में कथन किया है कि मैं दिनांक 29/05/2023 को अपने घर पर सुबह 8 बजे मेरे मकान के बगल से शोर शराबे की आवाज आयी घर के बाहर आया और देखा कि मनोज कुमार के घर के अन्दर सुशील, सुनील, आशुतोष, नितेश कुमार, अखिलेश कुमार अम्बिका प्रसाद व उनके पुत्र ऋषण ये सभी लोग सोर शराबा करके मनोज कुमार को लात घूसों से घर के अन्दर मार रहे थे। उनकी पत्नी ने बचाव बचाव की आवाज लगाई तो मैं व अमित कुमार व मुन्नालाल साहू ने आकर ललकारा जो मार रहे थे सुशील कुमार व सुनील कुमार लाठी डण्डा लिये हुए थे। आशुतोष व नितेश हाथो में सरिया लिए हुए थे। अखिलेश अपने हाथ में तमंचा लिये थे और कहने रहे मैं इसको गोली मार दूंगा। अम्बिका प्रसाद और ऋषभ मोटे डण्डे लिये हुए थे। कह रहे थे हाथ पैर तोड़ दो। साले को जमीन में भैंसे बांधने की परेशानी खत्म हो जाएगी। झगड़ा जानवरों को बांधने का हुआ। उपरोक्त लोगों ने खूटा उखाड़ दिया। मनोज कुमार रोकने गये थे तो उपरोक्त लोग मारने लगे। मनोज को मारते मारते घर तक लाये थे।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में किये गये कथनों के समर्थन में बयान अन्तर्गत धारा 200 द०प्र०सं० में कथन किया है कि दिनांक 29/05/2023 को प्रातः 8 बजे मैं तहसील नर्वल को कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहा था, अभियुक्तगण ने मेरे जानवर खूंटे से जानवर खोल दिया और मेरे जानवरों को भगा दिया। खूटा तोड़ दिया। जब मैंने विरोध किया तो गाली गलौज भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। मना करने पर जान से मारने की धमकी देने लगे. अखिलेश के हाथ में तमंचा था. सुनील व सुशील के हाथ में लाठी थी। आशुतोष व नितेश के हाथ सरिया था।ऋषभ व अम्बिका के हाथ में लाठी थी। परिवादी की ओर से धारा 202 द०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रस्तुत साक्षियों ने भी परिवादी के कथनों का समर्थन किया है।

उपरोक्त समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया विपक्षीगण सुशील कुमार, सुनील कुमार, आशुतोष, नीतेश, अखिलेश कुमार उर्फ झल्लू, अम्बिका प्रसाद व रिषभ को धारा 452,323,504,506 भा०द०सं० के अपराध में विचारण हेतु तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

विपक्षीगण य सुशील कुमार, सुनील कुमार, आशुतोष, नीतेश, अखिलेश कुमार उर्फ झल्लू, अम्बिका प्रसाद व रिषभ को धारा 452,323,504,506 भा०द०सं० के अपराध में विचारण हेतु दिनांक 29/05/2026 को जरिए समन तलब किया जाता है। परिवादी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करे।

दिनांक – 28/04/2026

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562